संख्या- 137 /2026 /987 /चार-2026-1856097

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ : दिनांक: 30 मार्च, 2026**

विषय :- संस्कृति विभाग, उ0प्र0 में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के भुगतान किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4621/सं0नि0-15(43)/2025-26, दिनांक 25 मार्च, 2026 के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि मे0 कॉनसेप्ट कम्यूनिकेशन, प्रा0लि0 के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक की अवधि का वेतन भुगतान हेतु रू0 14,33,700/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है :-

2- उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 में पी0 आर0 के कार्यों हेतु मे0 कॉनसेप्ट कम्यूनिकेशन, प्रा0लि0 के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक की अवधि का वेतन/मानदेय भुगतान किये जाने हेतु **रू0 14,33,700/- (रू0 चौदह लाख तैंतीस हजार सात सौ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

शर्तें/ प्रतिबन्ध:-

(1) कार्मिकों की प्रतिदिन की उपस्थिति एवं इनके द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता का सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है। अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा तथा सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(6) यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय का होगा।

(7) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) धनराशि आहरित कर सम्बन्धित फर्म के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 14,33,700/- (रू0 चौदह लाख तैंतीस हजार सात सौ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205 कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।